मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.

क्रमांक / 934 / 2017 / 50–2 भोपाल,दिनांक 17.07.17

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–डिण्डोरी (म.प्र.)

विषयः–आंगनवाड़ियों केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को कोदो कुटकी से निर्मित पट्टी सुबह के नाश्ते में पूरक पोषण आहार के रूप में प्रदाय करने बाबत्

मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम के माध्यम से तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंर्तगत डिण्डोरी जिले के नारी महिला चेतना संघ मेंहदवानी के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कोदो कुटकी का उत्पादन कर उससे पट्टी तैयार की जाती है ।

पायलेट प्रोजक्ट के रूप में जिले की किसी एक परियोजना का चयन कर उसकी समस्त आंगनवाडी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सुबह के नाश्ते में कोदो कुटकी से निर्मित पट्टी दी जा सकती है । भारत सरकार, महिला बाल विकास के नार्मस अनुसार 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिवस नाश्ता एवं भोजन सहित 12–15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी होना अनिवार्य है । अतः सर्वप्रथम कोदो कुटकी से निर्मित पट्टी में निर्धारित नार्मस अनुसार प्रोटीन/कैलोरी की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मात्रा/दर एवं आंगनवाडी केन्द्रों में वितरण व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर आवश्यक गणना एवं परीक्षण कर किया जावें,तद्उपरान्त जिला स्तर पर निर्णय लिया जाकर आंगनवाडी केन्द्रों में सुबह के नाश्ते में कोदो कुटकी से निर्मित पट्टी दी जावें ।

बच्चों को प्रतिदिवस दिए जाने वाले नाश्ते एवं भोजन की मात्रा में न्यूनतम 12 से 15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी प्रति बच्चा प्रतिदिवस अनिवार्यतः होना चाहिए । प्रतिदिन बच्चों को गुणवत्तायुक्त नाश्ता/भोजन प्राप्त हो यह भी सुनिश्चित किया जावें ।

14/7/17
(जे.एन.कांसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / 935 / 2017 / 50–2 भोपाल,दिनांक 17.07.17

प्रतिलिपिः–

जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला–डिण्डोरी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

15/7/17
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग